# न्यायालय उप उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी (तहसीलदार) कुचामनसिटी | | ओमप्रकाश पुत्र गोपीलाल मोर जाति अग्रवाल नि. कुचामनसिटी तह. कुचामनसिटी |

राजस्व प्रार्थना–पत्र – अन्तर्गत धारा 212 R.T.R. Act 1955

राजस्व प्रार्थना–पत्र नं. 83 / 2019 RCMS- 2019/00197

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 24/12/19 | यह राजस्व प्रार्थना–पत्र राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी जिला (नागौर) की ओर से अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार कुचामनसिटी के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस दौरान बताया कि अप्रार्थी ओमप्रकाश द्वारा ग्राम पनवाड़ी तहसील कुचामनसिटी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 294 रकबा 1.52 हैक्टर भूमि को बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के आवासीय कॉलोनी भूखण्ड काटकर कृषि भूमि में (मुटाम/छोटे पिल्लर लगाकर) अकृषि उपयोग कर लिया है। इसलिए अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनॉक 21.01.2020 तक इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पनवाड़ी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 294 रकबा 1.52 हैक्टर भूमि को अप्रार्थी अन्यत्र बेचान, हस्तानान्तरण भारग्रस्त इत्यादि नही करे, मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं उक्त आराजी में किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नही करे। पत्रावली दिनॉक 21.01.2020 को पेश हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>कुचामन सिटी (नागौर) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:15:31 IST
Reason: SelfAttested